अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2021 से मार्च 2022[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	ए. भारत सरकार (जीओआई)
1 अप्रैल 2021	• अधीनस्थ कर्ज के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) को 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किया गया। • वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत सुधार करने के लिए 11 राज्यों को ₹11,830 करोड़ की राशि जारी की।
11 अप्रैल 2021	भारत सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रेमेडिसिविर इंजेक्शन और सक्रिय औषधि घटक (एपीआई) के निर्यात पर रोक लगा दी।
26 अप्रैल 2021	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा कोविड-19 के समय आयात से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने और शीघ्र सीमाशुल्क निकासी के लिए व्यापार, उद्योग और व्यक्तियों को संभालने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की गई थी।
30 अप्रैल 2021	• 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। • छूट-प्राप्त श्रेणियों की सूची में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर के आयात को शामिल किया गया, जहां 31 जुलाई 2021 तक सीमा शुल्क निकासी "उपहार" के रूप में हुई है।
1 मई 2021	• राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) के लिए ₹8,873.6 करोड़ की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गई थी और एसडीआरएफ राशि के 50 प्रतिशत तक के हिस्से को राज्यों द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। • सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कतिपय अनुपालनों की समयसीमा दी। इनमें अन्य बातों के अलावा, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियां दर्ज करने व आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ा कर 31 मई 2021 तक करना शामिल है।
2 मई 2021	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की गई। इनमें विलंब शुल्क से छूट, ब्याज दर में कमी, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) नियम में संशोधन, जीएसटी रिटर्न 1 (जीएसटीआर-1) प्रस्तुत करने की नियत तारीख में विस्तार, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा (आईआईएफ), जीएसटी रिटर्न 4 (जीएसटीआर-4) और इनपुट कर क्रेडिट-04 (आईटीसी-04) शामिल हैं।
3 मई 2021	विदेशों से दान में प्राप्त विशिष्ट कोविड-19 राहत सामग्री में अन्य बातों के अलावा रेमेडिसिविर इंजेक्शन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोविड-19 टीके, 30 जून, 2021 तक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से *तदर्थ* छूट के बारे में अधिसूचना शामिल थी।
5 मई 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (तृतीय चरण) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सामान्य 5 किलोग्राम/ प्रति व्यक्ति/ प्रति माह की हकदारी से बढ़कर अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दो और महीनों, मई से जून 2021 के लिए बढ़ा दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गरीब और असुरक्षित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
18 मई 2021	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 मार्च 2021 और 30 जून 2021 के मध्य बैंकों को देय 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान (आईएस) के निरंतर लाभ और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) पर प्रति किसान को ₹3 लाख तक (एएचडीएफ के लिए ₹2 लाख तक) देने की योजना की पुनर्भुगतान तिथि को 30 जून 2021 तक विस्तारित करने हेतु एक ज्ञापन जारी किया।

[1] सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों के लिए विवरण सरकारी वेबसाइट पर और रिज़र्व बैंक से संबंधित उपायों के विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
20 मई 2021	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कुछ समयसीमाओं का विस्तार किया गया: • वित्तीय लेनदेन विवरणी (एसएफटी), रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण, 2020-21 के लिए कर कटौती के विवरण को पहले 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जिसे अब 30 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। • कर्मचारी को स्रोत पर कर कटौती के प्रमाण पत्र को पहले 15 जून 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था, उसे 15 जुलाई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
28 मई 2021	43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अनुशंसाएं: • एम्फोटेरिसिन-बी सहित कोविड-19 संबंधित चिकित्सा सामग्री को 31 अगस्त 2021 तक निःशुल्क वितरण के लिए सीमा-शुल्क और आईजीएसटी से पूरी छूट दी जाएगी। • लंबित विवरणी के लिए विलंब शुल्क के संबंध में करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए आम माफी योजना और भविष्य की कर अवधि के लिए विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया। • ऐसे करदाता, जिनका कुल वार्षिक कारोबार ₹2 करोड़ तक है, उनके लिए 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न का सरलीकरण, 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9/ 9ए के रूप में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना वैकल्पिक होगा। इसमें अन्य बातों के अलावा, समाधान विवरण के स्व-प्रमाणन जैसी कुछ सुविधाएं अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई थीं।
30 मई 2021	आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार बढ़ाया गया था: • ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, अस्पतालों/ नर्सिंग होम/ क्लीनिक/ मेडिकल कॉलेजों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ प्रत्यक्ष ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवर। • रिज़र्व बैंक के 5 मई 2021 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जो उधारकर्ता पुनर्रचना के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार वर्षों के कुल कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था, जिसमें केवल पहले 12 महीनों के दौरान ब्याज की चुकौती के साथ अगले 36 महीनों में मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल था। उसके बाद, वे अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठा सकेंगे, *यानी,* केवल पहले 24 महीनों के लिए ब्याज की चुकौती और उसके बाद 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी शामिल थी। • रिज़र्व बैंक के 5 मई 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ-साथ ईसीएलजीएस 1.0 के तहत कवर किए गए उधारकर्ताओं को 29 फरवरी 2020 तक बकाया के 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता दी गई। • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए ₹500 करोड़ के बकाया ऋण की वर्तमान सीमा को हटाया जाना है, बशर्ते कि प्रत्येक उधारकर्ता के लिए अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या ₹200 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित हो। • नागर विमानन क्षेत्र ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्र होगा। • ईसीएलजीएस की वैधता 30 सितंबर 2021 तक या ₹3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2021 तक संवितरण की अनुमति है।
1 जून 2021	एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन का प्रतिबंधित निर्यात।
15 जून 2021	भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया। अब एमएसएमई पंजीकरण के लिए केवल स्थायी खाता संख्या (पैन) और *आधार* की आवश्यकता है।
23 जून 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (चतुर्थ चरण) को जुलाई 2021 से बढ़ा कर नवंबर 2021 तक विस्तारित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 जून 2021	कोविड-19 महामारी से उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था का समुत्थान करने के लिए ₹6,28,993 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा: • कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना। • ईसीएलजीएस के लिए अतिरिक्त ₹1.5 लाख करोड़। • सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना लायी गई। • 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/ गाइड/ यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता। • पहले 5 लाख पर्यटकों को एक माह का निःशुल्क पर्यटक वीजा। • डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए ₹14,775 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी। • बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/ बाल चिकित्सा हेतु बिस्तरों पर महत्व देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ₹23,220 करोड़ की अतिरिक्त राशि। • पोषण, जलवायु आघात-सहनीयता और अन्य लक्षणों के लिए बायो-फोर्टिफाइड फसलों की 21 किस्में को राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। • उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का ₹77.5 करोड़ के पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार। • राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए ₹33,000 करोड़ का प्रोत्साहन। • निर्यात के लिए बीमा रक्षा हेतु ₹88,000 करोड़ का प्रोत्साहन। • भारतनेट सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड लगाने के लिए ₹19,041 करोड़ दिये गए। • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यकाल का 2025-26 तक विस्तार। • सुधार आधारित, परिणामी बिजली संवितरण योजना के लिए ₹3.03 लाख करोड़। • पीपीपी परियोजनाओं और आस्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित कार्यविधि।
30 जून 2021	• कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर या स्वास्थ्य/ चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ग्रीनफील्ड परियोजनाएं और ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए वित्तीय गारंटी कवर प्रदान करने के लिए ₹50,000 करोड़ की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी। • ईसीएलजीएस के तहत 30 सितंबर 2021 तक ₹1,50,000 करोड़ के अतिरिक्त निधीयन के लिए अनुमोदन, या गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) के तहत ₹4,50,000 करोड़ की राशि की स्वीकृति, जो भी पहले हो। • *आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना* (एबीआरवाई) के तहत पंजीकरण का अंतिम दिनांक 30 जून 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 किया गया।
8 जुलाई 2021	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज (द्वितीय चरण) के लिए ₹23,123 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।
14 जुलाई 2021	भारत सरकार ने वर्तमान दरों पर 31 मार्च 2024 तक परिधान/ वस्त्रों और बने-बनाए सामान के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और प्रभार (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने की स्वीकृति दी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
19 जुलाई 2021	• कोविड-19 से प्रभावित करदाताओं को कर में छूट, और जिन्हें कोविड-19 के चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता या किसी व्यक्ति की सहायता लेने के बाद राशि का भुगतान करना पड़ा था। • कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों और उद्योग को वित्तीय सहायता दी गई।
16 अगस्त 2021	कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
17 सितंबर 2021	निम्नलिखित मामलों में आय कर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय-सीमा का विस्तार निम्नानुसार है: • पैन कार्ड को *आधार* से संबद्ध करने के लिए आयकर विभाग को *आधार* संख्या की सूचना प्रदान करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई। • अधिनियम के तहत दंड की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई। • *बेनामी* संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायिक प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी।
28 सितंबर 2021	विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 का 31 मार्च 2022 तक विस्तार।
29 सितंबर 2021	ईसीएलजीएस का 31 मार्च 2022 तक विस्तार या योजना के तहत ₹4.5 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो। इसके अलावा, ईसीएलजीएस के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30 जून 2022 तक विस्तारित की गई थी।
4 अक्टूबर 2021	• सीजीएसएसडी को 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया। इससे दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्राप्त होगी। • सुई वाली या बिना सुई की सीरिंज के निर्यात पर प्रतिबंध।
19 नवंबर 2021	एमएसएमई मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुड़ी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना (एससीएलसीएसएस) प्रारंभ की। इस योजना में संयंत्र एवं मशीनरी एवं सेवा उपकरण की खरीद के लिए 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) का प्रावधान है।
24 नवंबर 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पांचवां चरण) का विस्तार 4 महीने की अवधि के लिए, *यानी* दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक किया गया ताकि एनएफएसए के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिले।
10 जनवरी 2022	एनोक्सापैरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई) और इंट्रा-वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) [फॉर्मूलेशन और एपीआई] के निर्यात पर प्रतिबंध।
1 फरवरी 2022	केंद्रीय बजट 2022-23 व्यष्टि-आर्थिक स्तर के सर्व-समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समष्टि-आर्थिक स्तर के विकास की अनुपूर्ति करना चाहता है। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं: • मार्च 2023 तक ईसीएलजीएस का विस्तार किया जाएगा और इसके गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। कुल कवर ₹5 लाख करोड़ होगा। • सीजीएसएसडी का मार्च 2023 तक विस्तार। • संशोधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया गया। • सरकार द्वारा ₹6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम का सूत्रपात। • *उद्यम*, *ई-श्रम*, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और *असीम* [2] के पोर्टलों को आपस में जोड़ना।

[2] *आत्म निर्भर* कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में ₹1 लाख करोड़ आबंटित किए गए। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के परिव्यय को 2021-22 में ₹10,000 करोड़ (बजट अनुमान) से बढ़ाकर 2021-22 में ₹15,000 करोड़ (संशोधित अनुमान) किया जाएगा। • कर प्रोत्साहन पहले 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध था। महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए स्टार्ट-अप की सहायता हेतु, पात्र स्टार्ट-अप को शामिल करने की अवधि 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। • गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई। • अनुपूरक शिक्षण प्रदान करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आत्मनिर्भर तंत्र बनाने के लिए, *प्रधान मंत्री ईविद्या*, एक वर्ग-एक टीवी चैनल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।
26 मार्च 2022	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (षष्ठ चरण) का अगले 6 महीने (अप्रैल-सितंबर 2022) के लिए विस्तार।
30 मार्च 2022	ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और नागर विमानन क्षेत्रों से संबंधित लाभों का कार्यक्षेत्र, व्याप्ति और सीमा निम्नानुसार विस्तारित की गई है: • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आच्छादित क्षेत्रों में नए उधारकर्ताओं जिन्होंने 31 मार्च 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक उधार लिया है, वे भी अब ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे। • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत प्राप्त होने वाली आपातकालीन ऋण सुविधाओं की सीमा ईसीएलजीएस 3.0 के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में पात्र उधारकर्ताओं के लिए विस्तारित की गई है। ऐसे सभी क्षेत्रों (नागर विमानन क्षेत्र के अलावा) में पात्र उधारकर्ताओं को अब अपने उच्चतम निधि-आधारित ऋण का 50 प्रतिशत तक लाभ उठाने की अनुमति है। यह प्रति उधारकर्ता ₹200 करोड़ की वर्तमान अधिकतम सीमा के अधीन है। नागर विमानन क्षेत्र में पात्र उधारकर्ता अपनी उच्चतम कुल निधि और गैर निधि-आधारित बकाया ऋण के 50 प्रतिशत तक का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अधिकतम लाभ ₹400 करोड़ प्रति उधारकर्ता दिया जा सकता है।
31 मार्च 2022	एफटीपी 2015-20 का 30 सितंबर 2022 तक विस्तार।
बी. भारतीय रिज़र्व बैंक	
मौद्रिक नीति विभाग	
7 अप्रैल 2021	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और समायोजनकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया ताकि सतत संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सके और उसमें गतिशीलता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को निरंतर कम रखा जा सके और आगे बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखा जा सके।[3] • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को कुल ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे ऋण की क्षेत्रवार आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।[4]

[3] एमपीसी ने 2021-22 में अपनी सभी अनुवर्ती बैठकों में रिपो दर और समायोजनकारी रुख पर यथास्थिति बनाए रखी।

[4] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड को दिये गए ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किए गए थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
5 मई 2021	बैंकिंग सेवा से वंचित एमएसएमई को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने के लिए और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने हेतु, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से छूट, जो 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित ऋण के लिए मान्य थी, को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
4 जून 2021	एमएसएमई की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को कुल ₹16,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई थी ताकि अपेक्षाकृत छोटे एमएसएमई और कारोबारों पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए निवेश चक्र को शुरू किया जा सके, इसमें क्रेडिट की कमी वाले और आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
6 अगस्त 2021	सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की तीन प्रतिशत तक की धनराशि प्राप्त करने की विस्तारित सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक *यानी* और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया ताकि चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को राहत प्रदान की जा सके।
8 दिसंबर 2021	एमएसएफ के तहत उधार लेने की सीमा को 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल कर दिया गया था।
वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग	
5 मई 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) वर्गीकरण में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी – सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य एमएफआई (सोसायटी, न्यास *इत्यादि*) को दिए गए नए ऋणों को भी शामिल करने की अनुमति दी गई जो रिज़र्व बैंक द्वारा सेक्टर के लिए मान्यता प्राप्त 'स्व विनियामकीय संगठन' के सदस्य है, और जिनका 31 मार्च 2021 को वैयक्तिक ऋण प्रदान करने के लिए 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' ₹500 करोड़ तक है। उपरोक्त के अनुसार, 31 मार्च 2021 को बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक बैंक ऋण की अनुमति दी गई थी।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
7 अप्रैल 2021	• मांग पर लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा 9 अक्टूबर 2020 को की गई थी, और शुरुआत में इसे 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, जिसे छह महीने की अवधि, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
5 मई 2021	• आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप टर्म लिक्विडिटी विंडो प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 31 मार्च 2022 तक रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि होगी। इसका उद्देश्य देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देना है। बाद में इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। • महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, एसएफबी के लिए रिपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन वर्ष के दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एसएलटीआरओ) का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जिसे प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा शुरू में 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी। बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया और इसे ऑन-टैप बनाया गया।
4 जून 2021	31 मार्च 2022 तक रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की राशि के लिए संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए एक अलग चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। बाद में इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
विदेशी मुद्रा विभाग	
7 अप्रैल 2021	सामान्य रूप से, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के उधारकर्ताओं को भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों के साथ सावधि जमा में ईसीबी आय को संचयी रूप से अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए रखने की अनुमति है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईसीबी उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, एकबारगी उपाय के रूप में इस शर्त में ढील देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 1 मार्च 2020 को या उससे पहले आहरित अप्रयुक्त ईसीबी आय को 1 मार्च 2022 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए संभावित रूप से भारत में प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों के साथ सावधि जमा में रखा जा सकता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	विनियमन विभाग
7 अप्रैल 2021	1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज की वापसी के लिए अपनायी गई पद्धति और अपने उधारकर्ताओं से संबंधित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करने में उधारदाता संस्थानों के दृष्टिकोण में संगति सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
22 अप्रैल 2021	देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे सुदृढ़ बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए अग्रसक्रिय ढंग से पूंजी जुटाएं और संरक्षित करें। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि लाभांश की मात्रा, मौजूदा अनुदेशों में तय लाभांश अदायगी अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने की अनुमति थी।
5 मई 2021	• कोविड-19 के पुनर्प्रसार के मद्देनजर रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क (समाधान ढांचा) 2.0 की घोषणा की गई, जो ऋण देने वाली संस्थाओं को पात्र ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति देता है, जिन्हें 6 अगस्त 2020 के रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत पुनर्गठित नहीं किया गया था और जिन्हें, पुनर्गठित एक्सपोजर को शर्तों के अधीन मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय, 31 मार्च 2021 तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फ्रेमवर्क को 30 सितंबर 2021 तक लागू करना होगा और लागू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वित करना होगा। यहां तक कि एमएसएमई खातों के साथ-साथ पिछली योजनाओं के तहत पुनर्गठित अन्य पात्र खातों के संबंध में, ऋण देने वाली संस्थाओं को, एकबारगी उपाय के रूप में, कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर कार्यशील पूंजी की, स्वीकृत सीमा और/या आहरण शक्ति, मार्जिन में कमी, *आदि* की – इसे पुनर्गठन न मानते हुए - समीक्षा करने की अनुमति दी गई है। • एससीबी के लिए उपलब्ध – 01 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित किए गए ऋण के लिए सीआरआर की गणना के लिए उनके एनडीटीएल से ₹25 लाख तक प्रति उधारकर्ता के आधार पर नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को वितरित ऋण के बराबर राशि की कटौती - की छूट को 31 दिसंबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। • बैंकों पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण के उपाय के रूप में, बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने हेतु, 31 दिसंबर 2020 तक उनके द्वारा धारित अस्थायी प्रावधानों/ प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का शत-प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के उपयोग की अनुमति, तत्काल से लेकर 31 मार्च 2022 तक है। • अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित मास्टर निदेश के अनुसार, विनियमित संस्थानों (आरई) को मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन बाकी और आज तक लंबित है, ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक - जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय, *आदि* के अनुदेशों के तहत आवश्यक न हो - केवल इसी कारण से, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। आरई को यह भी सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों के केवाईसी के अद्यतनीकरण करने के लिए उनके साथ संवादरत रहें।
4 जून 2021	• कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों [*यानी* शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों] के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंकों पर यथा लागू) की धारा 31 के तहत, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को तीन महीने, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान के लिए समाधान ढांचा (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 2.0 के तहत, व्यक्तियों, लघु व्यवसायों और एमएसएमई के लिए कुल जोखिम सीमा ₹25 करोड़ थी। समीक्षा करने के उपरांत उपर्युक्त जोखिम सीमा को बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया।
6 अगस्त 2021	कोविड-19 से संबंधित दबाव से निपटने के लिए 6 अगस्त 2020 को जारी समाधान ढांचे के संदर्भ में लागू की गई समाधान योजनाओं को तय वित्तीय मापदंडों को 31 मार्च 2022 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था। 2021 में कोविड-19 महामारी के पुनर्प्रसार और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के समक्ष इससे उपजी कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित चार परिचालन मानदंडों *यथा* कुल कर्ज़/ ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कुल आय (टीडी/ ईबीआईटीडीए), चालू अनुपात, कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (डीएससीआर) और औसत कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (एडीएससीआर) से संबंधित तय सीमाओं को पूरा करने हेतु लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया जाए। हालांकि, कुल बाह्य देयताएँ/ समायोजित मूर्त निवल मालियत (टीओएल/ एटीएनडब्ल्यू) अनुपात को प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि, जैसा कि समाधान योजना के संदर्भ में तय किया गया था, को 31 मार्च 2022 तक अपरिवर्तित रखा गया।
9 अगस्त 2021	एमएसएफ के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने बकाया एनडीटीएल का तीन प्रतिशत तक एसएलआर में कटौती कर निधि लेने की अनुमति दी गई थी। प्रारम्भ में यह सुविधा 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया, ताकि बैंकों की चलनिधि आवश्यकताएं और चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाएँ पूरी हो सकीं।
30 दिसंबर 2021	देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन बाकी और आज तक लंबित है, ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक - जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय, *आदि* के अनुदेशों के तहत आवश्यक न हो - केवल इसी कारण से, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। आरई को यह भी सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों के केवाईसी का अद्यतनीकरण करने के लिए उनके साथ संवादरत रहें। कोविड-19 के नए वेरियंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
23 अप्रैल 2021	• सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की ₹51,560 करोड़ की सीमा को छह महीने के लिए, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। • ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों में छूट को जारी रखा गया, जिसमें एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लगातार ओडी में रहने वाले दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दिया गया, और एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के एक तिमाही में ओडी में रहने की अवधि को उसे 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया।
8 अक्टूबर 2021	• राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹51,560 करोड़ की वर्तमान अंतरिम डबल्यूएमए सीमा को अगले छह महीनों के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। • राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओडी विनियमों में छूट को छह महीने के लिए, *यानी* 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
21 मई 2021	कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा (मौजूदा गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) निर्गमकर्ताओं के लिए निवल मूल्य की अपेक्षा, भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं, *आदि* का पेशकश करने हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करने की समय-सीमा) का विस्तार किया गया था।